MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) to (c) Ministry of finance have intimated that preliminary discussions are going on with World Bank for a possible line on credit to a selected number of financial institutions including ICICI for private financing of infrastructure projects in India with Government of India Guarantee. The line of credit and partial Credit c Guarantee may cover a whole renge of projects in the infrastructure sector including power. The world Bank may also extend partial credit guarantee to be offered to foreign commercial landers and investors with the aim of helping improve the maturity and financing terms of foreign borrowings of eligible Financial Institutions.

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा तैयार की गई योजनाएं

2215. **श्री अजीत जोगी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गैर-परम्परागत स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए कोई योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निमग द्वारा कितनी योजनाएं बनाई गई है, और

(ग) इन योजनाओं को बनाने पर आर0 ई0 बी0 द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई थी और उक्त धनराशि किन स्रोतों से प्राप्त हुई थी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बेन चिमनभाई पटेल) : (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आर0 ई0 सी0) एक वित्तीय संस्थान के रूप में ऊजो के गैर-परम्परागत स्रोतों यथा, लघु/छोटी/सुक्ष्म जल विद्युत, सोलर पी वी पावर, पवन फार्म आदि समेत 15मेगावाट तक की विद्युत के विकेन्द्रीकृत विद्युत उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) गत दो वर्षों अर्थात 1993-94 और 1994-95 के दौरान निगम ने इस प्रकार की 11 परियोजनाओं अर्थात 2 लघु जल विद्युत, 2 सुक्ष्म जल विद्युत और 7 पवन फार्म परियोजनाओं के लिए 87.71 करोड़ रुपये की कुल ऋण धनराशि स्वीकृत की है।

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं के लिए आर0 ई0 सी0 की निधियों में से आर0 ई0 सी0 ने स्वीकृत धनराशि की तुलना में 32.18 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की है।

विश्व में नए बाजारों की तलाश में एअर इंडिया की अक्षमता

2216. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में नए बाजारों की तलाश करने में एअर इंडिया असफल रहा है और इसके परिणामस्वरूप यह अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है, और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं और इनमें कितनी सफलता मिली है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) विमानों की उपलब्धता संबंधी कठिनाईयों और प्रचालनात्मक/वाणिज्यिक सीमाओं के बीच, एअर इंडिया ने हमेश सेवाओं के अपने नेटवर्क का विस्तार करने की कोशिश की है। वर्ष 1995 के दौरान एअर इंडिया ने मौजूदा मार्गों पर अपनी आवृत्तियों में वृद्धि की है और आठ नए मार्ग शुरू किए है । एअर इंडिया ने चालू वित्त वर्ष के दौरान, एन्टैब्बे, मैड्रि और तेल अवित जैसे कई नए स्थलों के लिए सेवाओं की और योजनाएं बनाई हैं।

Exhibiting obscene films in violation of various provisions

2217. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of INFORMATION AND BROAD-CASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that obscenity is an offence under the provisions of IPC, Post Office Act, 1893. Sea Customs Act, 1878, the Dramatic Performance Act, 1876 and the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986;

(b) whether it is also a fact that inspite of these provisions, obscene films and their publicity posters are being openly exhibited throughout the country;

(c) whether the reasons for such exhibition is total disregard of these provisions or weakness in enforcement of these provisions; and

(d) if so, the fact thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI P. M. SAYEED): (a) to (d) Obscenity is an offence under the Indian Penal Code and other Central/State Acts. However, films intended for exhibition are required to be certified by the Central Board of Film Certification in accordance with the provisions of the Cinematograph Act, 1952 and the guidelines issued thereunder. According to these guidelines, the Board shall *inter alia* ensure that human sensibilities are not offended by obscenity, vulgarity and depravity. Thus only films certified by the Board are shown to the public.

However, there are reports that certified films are not shown in the form in which they are certified, that is, films are shown with interpolations. It may be mentioned here that the responsibility for enforcing the penal provisions of the Cinematograph Act, 1952 rests with the State Governments add Union Territory Administrations. They have been requested, time and again, to see that the legal provisions are strictly enforced by the local authorities.

As for film posters, again, it is for the local authorities of State Gvernments/ Union Territory Administrations to take action under the common law of the land relating to obscenity, *i.e.,* Indian Penal Code. The State Governments and Union Territory Administrations have been requested to take appropriate action, in this regard also.

State Government share in Regional Rural Banks

2218. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether State Governments have not yet contributed their share of equity to the selected Regional Rural Banks; and

(b) the steps taken to ensure such participation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) and (b) Some State Governments have already released their share of 15% to the Regional Rural Banks (RRBs) in their State Out of 49 RRBs to whom additional equity have been decided to be given for the purpose of comprehensive restructuring including the cleansing of their balance sheets. Government of India is in correspondence with the State Governments in this regard.

नौएडा, वृहत्तर नौएडा और दादरी के लिए विद्युत की व्यवस्था

2219. **श्री राजनाथ सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विद्युत-योजना ने नौएडा वृहत्तर नौएडा और दादरी (उत्तर प्रदेश) के लिये विद्युत की व्यवस्था करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है,

(ख) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के बीच कोई बातचीत हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार इन क्षेत्रों से चहुंमुखी विकास हेतु इन्हें अतिरिक्त विद्युत प्रदान करने के लिये कब तक कार्यवाही करेगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बेन चिमनभाई पटेल) : (क) से (ग) एन टी पी सी दादरी (840 मे0 वा0) केन्द्र से विद्युत उत्तर ग्रिड को प्रदान की जाती है । उत्तर प्रदेश का इस विद्युत केन्द्र में 10% उत्पादन का हिस्सा है । विभिन्न जिलों/क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति तथा वितरण करना राज्य